न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 13/2019

अपीलांट्स–

1. केसाराम पुत्र राणाराम
2. मोटाराम पुत्र राणाराम
3. खूमीदेवी पत्नी राणाराम
4. कालूराम पुत्र हरखाराम
5. गोसाईराम पुत्र हरखाराम
6. तीजोदेवी पत्नी हरखाराम

जाति जाट निवासी हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. कालूराम पुत्र देदाराम
2. खींयाराम पुत्र देदाराम
3. अणदुदेवी पत्नी देदाराम
4. खेमाराम पुत्र मानाराम
5. बांकाराम पुत्र मानाराम
6. तुलछाराम पुत्र शेराराम
7. टीकूराम पुत्र शेराराम
8. अचलाराम पुत्र कुम्भाराम
9. पुरखाराम पुत्र कुम्भाराम
10. कालूराम पुत्र कुम्भाराम
11. भीखों देवी पत्नी कुम्भाराम
12. केसीदेवी पत्नी खेराजराम
13. हुकमाराम पुत्र खेराजराम
14. समदा देवी पत्नी उदाराम
15. गोसाईराम पुत्र उदाराम
16. पीराराम पुत्र पदमाराम
17. शोभाराम पुत्र पदमाराम
18. उमीदेवी पत्नी पदमाराम

    जाति जाट निवासी हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.08.1986 जो अपीलांट्स व उत्तरदाता सं. 1से 18 की संयुक्त खातेदारी की भूमि के संबंध में हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री कुम्भाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री वीरमाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1से18 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 19 प्रफॉर्मा पक्षकार।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 24.01.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 16.08.1986 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा हाथीतला के खेत खसरा नम्बर 92, 95, 119, 550, 561, 605, 654, 656, 91 रकबा क्रमशः 136–04, 33–01, 61–15, 30–16, 42–00, 50–17, 94–05, 104–16, 00–16 बीघा कुल रकबा 554–10 बीघा भूमि के खातेदारान देदा खेमा बांका पि0 माना 1/5 शेरा प्रभु कुभा पदमा पि0 जूंजा कौम जाट सा0 देह खातेदार ने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.1986 तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान किस्तुराराम वल्द सोनाराम सरपंच हाथीतला द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी हाथीतला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि सरहद मौजा हाथीतला में खतौनी वर्ष 2037 से 2041 के अनुसार खाता सं. 105 में देदा, खेमा बाका पि0 माना, शेरा, प्रभु, कुंभा पि0 जूंजा कौम जाट सा0 हाथीतला की रेकर्ड में खातेदारी हैं तथा इनके द्वारा उक्त एग्रीमेंट में बताये गये भूमि एवं लगान के विवरण सही है तथा अब इन्होने जिस अनुसार विभाजन किया हैं मौका पर उसी अनुसार काबीज है। प्रत्येक के हिस्सा के अनुसार आने वाली भूमि के अनुसार उक्त विभाजन सही है, अतः लगान का जो पुनः वितरण किया है वह भी प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से में आने वाली भूमि के रकबे एवं उसकी किस्म के अनुसार सही है, जहां एक ही खसरा नम्बर के भाग किये गये हैं उनके जो सीमा का ही खसरा नम्बर के भाग किये गये हैं उनमें जो सीमा विवरण बताया गया हैं वह ठीक है, मौका पर वे उसी के अनुसार काबिज है तथा नक्शा में भी जो सीमाओं का विवरण दिया गया है वह भी मौके के अनुसार हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत [illegible] कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने [illegible] दिनांक 16.08.1986 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.05.2018 को प्रस्तुत की गई है

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:03:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। अपीलांट्स ने हल्का पटवारी पर विश्वास कर कदीमी मौका कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु प्रस्ताव रखा जिस पर हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन करने हेतु सहमति इकरारनामा व नक्शा के साथ तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश हुए। रेस्पो0 सं. 1 से 18 ने हल्का पटवारी से मिलकर इस विभाजन हेतु तैयार नक्शे मे बंटवाड़ा की तरमीम मौके पर पक्षकारान के कब्जा–काश्त के अनुसार नहीं करवाकर अपने हिसाब से करवाई गई। इस समस्त कार्यवाही का अपीलांट्स के पूर्वजों को कोई ज्ञान नहीं होने दिया और उन्हे अंधेरे में रखते हुए विभाजन पत्र तहसीलदार बाड़मेर से तस्दीक करा दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती बड़ी भारी भूल की हैं। अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के मध्य पूर्व में हुए बाहमी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया हैं तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलांट्स की ढाणियां, बाड़े आदि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 16.08.1986 की पालना में नामान्तरकरण पारित कर दिया तथा लट्ठा ट्रेस में मात्र दो खसरों की तरमीम की गई है तथा अन्य खसरों की अलग–अलग तरमीम नहीं की गई। अर्सा एक माह पूर्व रेस्पो0 ने अपीलांट्स को पूर्व में हुए मौखिक बंटवारे के अनुसार कब्जा हटाने हेतु कहा, जिस पर अपीलांट्स ने ऐसो [illegible] के कारण पूछा तो रेस्पो0 ने बताया कि आपके कब्जे–[illegible] प्राप्त हुई है तथा आपको कब्जा खाली करना पड़ेगा वर्ना हम मजबूर होकर आपको जबरन बेदखल करना पड़ेगा, जिस पर अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश की नकल मांगी, जो दिनांक 14.05.2018 को प्राप्त होने पर यह अपील ज्ञान होने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:03:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तारीख से अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही हैं साथ ही सद्भाविक रूप से हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट सं. 1से18 के अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 16.08.1986 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हैं तथा मौके पर पक्षकारान का कब्जा–काश्त अनुसार ही विभाजन किया गया था जिस पर रेस्पो0 ने अपने हिस्से की भूमि पर खाद बीज आदि डालकर उपजाउ बनाई गई तथा अपने–अपने हिस्से की रहवासी ढाणी में निवास कर रहे हैं परन्तु अपीलांट्स की नियत में खोट आने से सहमति विभाजन के करीब 32 साल के असाधारण विलम्ब के बाद यह अपील पेश की गई हैं जो मयाद बाहर होने से पोषणीय नही हैं। अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 2 ने अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति से हस्ताक्षर / अंगुष्ठ निशान अंकित किये हैं ऐसे में अपीलांट का यह कथन कि वह उन्हे धोखे में रखकर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करवा लिया गया है, पूर्णतया मिथ्या कथन हैं। अपीलांट के पूर्वजों व रेस्पोडेंट के पूर्वजों सभी ने अपनी स्वतंत्र सहमति व जानकारी से हल्का पटवारी से मौके पर पक्षकारान के कब्जा–काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर उस पर समस्त सहखातेदारों द्वारा अपनी स्वतंत्र जानकारी व सहमति से हस्ताक्षर कर सरपंच, ग्राम पंचायत हाथीतला के द्वारा पहचान करवाकर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव तस्दीक करवाया गया, जो पक्षकारान के मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार सही विभाजन किया गया हैं। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील मयाद समाप्ति पश्चात यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की है जिसका समुचित कारण न तो अपील में अंकित किया हैं और न ही आवेदन पत्र में अंकन किया हैं जबकि विधि अनुसार अपील की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक दिन का विलम्ब स्पष्ट करने के लिए कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक हैं। इसके अलावा अपीलाधीन विभाजन अपीलांट्स के पूर्वजों ने निष्पादित करवाया हैं तथा उन्होने अपने जीवनकाल में कभी आपत्ति नहीं की हैं तो अपीलांट्स का यह कथन कतई मानने योग्य नहीं हैं [illegible] अपीलाधीन विभाजन की जानकारी नही थी। इसके अलावा भी अपीलांट सं. 4 एव 5 के पक्ष में उनकी बहनों द्वारा अपने [illegible] हुए हकतर्कनामा दिनांक 19.08.2013 को निष्पादित किया एवं उप पंजीयक बाड़मेर के समक्ष उसी दिन उपस्थित होकर पंजीबद्ध कराया गया हैं, ऐसे में यदि अपीलाधीन विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:03:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

की तत्समय जानकारी नहीं होने पर भी हकतर्कनामा निष्पादन की दिनांक को अवश्यक जानकारी हो गई थी, फिर भी इसके पांच वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। इस आधार पर अपीलांट्स की यह अपील पूर्णतया मयाद बाधित होने के कारण निरस्त योग्य हैं, जो खारिज फरमाई जावें।

7. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.1986 तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा केवल पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकर्ड मे दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना हैं। इसके उपरांत भी हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया हैं कि " उक्त एग्रीमेंट में बताये गये भूमि एवं लगान के विवरण सही है तथा अब इन्होने जिस अनुसार विभाजन किया हैं मौका पर उसी अनुसार काबीज है। प्रत्येक के हिस्सा के अनुसार आने वाली भूमि के अनुसार उक्त विभाजन सही है, अतः लगान का जो पुनः वितरण किया है वह भी प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से में आने वाली भूमि के रकबे एवं उसकी किस्म के अनुसार सही है, जहां एक ही खसरा नम्बर के भाग किये गये हैं उनके जो सीमा का ही खसरा नम्बर के भाग किये गये हैं उनमें जो सीमा विवरण बताया गया हैं वह ठीक है, मौका पर वे उसी के अनुसार काबिज है तथा नक्शा में भी जो सीमाओं का विवरण दिया गया है वह भी मौके के अनुसार हैं।" इस प्रकार विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित कराये गये हैं। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधिनस्थ तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष धारा 53(2)(i) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा इस इकरारनामा को अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। अपीलांट्स जो यद्यपि अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव में पक्षकार नहीं थे किन्तु इसके पश्चात भूमि अलग खाता दर्ज होने के बाद अपीलांट्स 4 व 5 ने अपनी बहनों से उनके हिस्से का हकतर्क ग्रहण किया है, उस दिन इस बात की जानकारी होना रेकर्डेड साक्ष्य हैं, इसके बावजूद भी पांच वर्ष की देरी से यह अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:03:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रस्तुत की गई हैं। इस हकतर्कनामा में अपीलांट सं. 1 व 2 की माता अपीलांट सं. 3 का नाम बतौर गवाह अंकित हैं। इस प्रकार उक्त विभाजन कराने के बाद अपने–अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के 32 वर्ष बाद एवं अपीलांट्स को जानकारी होने के पांच वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं, जबकि एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। अपीलांट्स द्वारा इस अपील को प्रस्तुत करने में हुई असाधारण 32 वर्ष की समयावधि के विलम्ब का कोई ठोस एवं तार्किक कारण प्रकट नहीं किया गया हैं। परिणामस्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन तथ्यों पर आधारित होने एवं मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

9. निर्णय आज दिनांक 24.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:03:58 IST
Reason: SelfAttested